

# इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना-14.

## कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय आदेश ज्ञापांक 430/एकेड0 दिनांक 11/04/2019 की कंडिका 02 में निम्न संशोधन किया जाता है :-

आदेश की कंडिका 02 को विलोपित किया जाता है अर्थात संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के पूर्ववर्ती सत्र (सत्र 2019-20 से पहले) के छात्र-छात्राओं पर बढ़ा हुआ ट्यूशन एवं हॉस्टल फी का दर लागू नहीं होगा। शेष नियम यथावत रहेगा।

2. Medical Councelling Committee (MCC) for NEET UG/PG/SS एवं संस्थान के वेबसाइट पर यह अपलोड किया जाए कि "All fees are subject to change any time during the course as per decision of competent authority which will be mandatory to be deposited by students as per directive."

ह0/-

संकायाध्यक्ष (एकेडमिक)  
आइ.जी.आइ.एम.एस., पटना।

ज्ञापांक : आइ.जी.आइ.एम.एस./2019/एकेड. 965

दिनांक : 11/07/2019

प्रतिलिपि: निदेशक/डीन (एकेडमिक)/ डीन (परीक्षा)/प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज/चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी प्राध्यापक - नामांकन (पी.जी./यू.जी./एस.एस.)/ सम्पर्क पदाधिकारी (आरक्षण)/ प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज/प्रशासन शाखा/वित्तीय सलाहकार/ अधीक्षण अभियंता (असैनिक)/लेखा शाखा, मेडिकल कॉलेज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

- संस्थान के सभी सूचना पट्ट पर छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ।
- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) एवं प्रभारी वेब-साइट को संस्थान के वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।

संकायाध्यक्ष (एकेडमिक)  
आइ.जी.आइ.एम.एस., पटना।

Received  
Prati  
18/07/19